न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 108/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2014/00005)

1. गिरधारीलाल पुत्र श्री मानमल जाति अग्रवाल सराफ निवासी रतनगढ जिला चूरू जरिये मुख्तैयारआम निरंजन कुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल भूखरेड़िया निवासी रतनगढ जिला चूरू (फौत)

1/1 मनोज कुमार 1/2 मनीष कुमार	पुत्रगण स्व. गिरधारीलाल सराफ निवासी रतनगढ हाल मुम्बई महाराष्ट्र जरिये मु.आम निरंजन कुमार पुत्र स्व. रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल भूखरेड़िया निवासी वार्ड नं. 27 नया वार्ड 33 रतनगढ जिला चूरू

अपीलान्ट्स

बनाम

1. परमांनंद सराफ दातव्य निधि ट्रस्ट कोलकाता जरिये मुख्य ट्रस्टी,सांवरमल सर्राफ पुत्र बृजलाल (बीजराज) जाति सर्राफ निवासी रतनगढ जरिये मुख्त्यारआम सज्जन कुमार नाहरिया पुत्र मदनलाल नाहरिया जाति माहरिया निवासी शास्त्री नगर, रतनगढ जिला चूरू।
2. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार रतनगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री नरेन्द्र गौड़ – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री राजेश बैद – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 20.12.2022**

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रतनगढ जिला चूरू के निर्णय दिनांक 08.12.1999 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने ग्राम रतनगढ तहसील रतनगढ के इन्तकाल सं. 539 दिनांक 25-2-88 के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी रतनगढ जिला चूरू मे अपील पेश कर निवेदन किया कि खसरा नं. 853, 856, 858, 859 कुल तादादी 14

अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर

बीधा 14 बिश्वा वाके रोही रतनगढ का इन्तकाल सं. 539 दिनांक 25–2–88 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट ट्रस्ट परमानन्द सराफ दातव्य निधि ट्रस्ट कलकत्ता के नाम दर्ज फरमाया जावे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी रतनगढ जिला चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.12.1999 द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ग्राम रतनगढ के खं. नं. 853, 856, 858, 859 कुल रकबा 14–14 बीधा बाबत इन्तकाल नं. 539 दिनांक 25–2–88 को निरस्त कर अपीलान्ट ट्रस्ट परमानन्द सराफ दातव्य निधि ट्रस्ट कलकता के नाम इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी के प्रार्थना के साथ तृतीय पक्षकार के द्वारा मियाद बाहर पेश हुई है मियाद के बिन्दु पर बहस सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उसे उक्त निर्णय की प्रथम जानकारी दिनांक 24.11.2014 को उक्त भूमि के रिकार्ड की स्थिति देखने से हुई। अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी से मियाद का समय मानकर अपील को अन्दर मियाद स्वीकार की जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दिनांक 07.03.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। अपीलान्ट व उसका मुख्त्यारआम वादगत भूमि के सम्बन्ध मे सम्पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से रखते है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रतनगढ के समक्ष प्रकरण सं. 1/2010 अनुवानी महन्त गणेशनाथ आदि बनाम परमानन्द सर्राफ दातव्य निधि ट्रस्ट के विरूद्व मुख्त्यारआम सदैव सक्रिय रहा है। अतः अपीलान्ट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र बाबत प्रभावित पक्षकार मानकर अपील पेश करने की इजाजत देने का एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलान्ट इन्तकाल सं. 539 में अंकित बिहारी

अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर

लाल के पुत्र मानमल का पुत्र है, परन्तु इन्तकाल व रिकार्ड में प्रार्थी के पूर्वजो का नाम होते हुए भी प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश से हित प्रभावित हुए है। अतः आवश्यक पक्षकार मानते हुए अपील पेश करने की इजाजत प्रदान करें।

6. रेस्पोडेन्ट सं. 1 की तरफ से दिनांक 27.01.2015 को जरिये मुख्तयारआम सज्जन कुमार नाहरिया की ओर से श्री सुशील कुमार बाकोलिया एडवोकेट जरिये वकालतनामा उपस्थित हुए। तथा दिनांक 27.01.2015 को ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 की तरफ से जरिये ट्रस्टी डॉ राधेश्याम आर्य की ओर से श्री राजेश बैद एडवोकेट जरिये वकालतनामा उपस्थित हुए। दिनांक 03.03.2015 को श्री राजेश बैद एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि सज्जन कुमार नाहरिया का वकालतनामा डी पार्ट मे रखने तथा प्रार्थी डॉ राधेश्याम आर्य को ट्रस्ट की ओर से पेरवी करने का आदेश प्रदान करे। दिनांक 22.05.2017 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री गोतम कुमार नाथोलिया एडवोकेट जरिये वकालतनामा उपस्थित हुए। उन्होने धारा 151 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत कर अंकित किया कि राधेश्याम आर्य व अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जो कोई दस्तावेज या वकालतनामा बिना पक्षकार बनने की इस्तदुआ के पेश किए गए है वो पत्रावली से हटाया जावे। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। श्री राजेश बैद एडवोकेट द्वारा दिनांक 03.03.2015 को पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सज्जन कुमार नाहरिया द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा को पत्रावली के डी पार्ट मे रखे जाने तथा डॉ राधेश्याम आर्य, अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से राजेश बैद एडवोकेट को पेरवी करने के आदेश दिये गये।

7. अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 21.01.2020 को प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि इन्तकाल सं. 539 दिनांक 25.02.1988 मे निर्णय व समस्त दस्तावेज सलग्न है, जिनका अपील से सीधा संबध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय से इन्तकाल रजिस्टर तलब किया जावे।

8. अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 28.01.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 रूल 27 एवं धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर अंकित किया कि फार्म नं. 3 के साथ अपील में वर्णित भूमि से संबधित कुछ

अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर

महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे पत्रावली मे बतौर साक्ष्य शामिल किया जावे।

9. दिनांक 07.03.2022 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 दिनांक 28.01.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिया ना होकर फोटोस्टेट प्रतिया है जिनके सन्देहास्प्रद होने से इन्कार नही किया जा सकता। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार सलग्न छायाप्रति दस्तावेज को डी पार्ट मे रखे जाने का आदेश फरमावे।

10. प्रार्थना पत्रो व अपील पर अंतिम बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया ग्राम कि रतनगढ के खसरा नं. 853, 854, 855, 856, 858 व 859 की कुल 39.06 बीधा भूमि अपीलान्ट के पूर्वजो के नाम से दर्ज चली आ रही थी। उक्त भूमि मे से खसरा नं. 854 व 855 की 24.12 बीधा भूमि का इन्तकाल सं. 539 दिनांक 25.02.1988 के द्वारा नगर पालिका रतनगढ आबादी विकास गाड़िया लुहार के नाम से दर्ज कर दी गई तथा शेष खसरा नं. 853, 856, 858, 859 की 14.14 बीधा भूमि यथावत दर्ज रिकार्ड रही। उक्त इन्तकाल के विरूद्व प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रतनगढ को नोटिस जारी कर बिना कोई जांच व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किये सरसरी तौर पर कानून व नियमो को ताक पर रखकर मात्र रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुचाने की नियत से सार्वजनिक उपयोग व धामार्थ कार्य हेतु दर्ज भूमि को रेस्पोडेंन्ट सं. 1 के नाम दर्ज करने का निर्णय किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा चाहे गये मनमाने, विरोधाभाषी व कानून के विवरित अनुतोष प्रदान कर दिया। इन्तकाल सं. 539 अधीनस्थ न्यायालय के स्वय द्वारा पारित आवप्ति आदेश दिनांक 11.02.1988 की पालना मे स्वीकृत किया गया था। प्रथम तो मूल आदेश के विरूद्व कार्यवाही कर उसे निरस्त किये बगैर उसकी पालना मे दर्ज इन्तकाल को कानूनन निरस्त नही किया जा सकता तथा दूसरी और उपखण्ड अधिकारी रतनगढ द्वारा पारित अवाप्ति आदेश के आधार पर दर्ज इन्तकाल को स्वय अपील सुनने का

अति. संभागीय आयुक्त

क्षेत्राधिकार ही नही था। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश अनियमितता व आधारहीन होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलान्ट के प्रभावित पक्षकार ही नही होने के कारण तथा ना ही उसके द्वारा किसी प्रकार की इजाजत प्राप्त किये उसे अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार ही प्राप्त नही था तथा ना ही उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में रिकोर्डेड खातेदारों को पक्षकार बनाया गया था। अपीलान्ट इन्तकाल सं. 539 में अंकित बिहारी लाल के पुत्र मानमल का पुत्र है, परन्तु इन्तकाल व रिकार्ड मे अपीलान्ट के पूर्वजो का नाम होतें हुए भी अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बगैर नियम विरूद्व तरीके से कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेन्ट ने मुख्त्यारआम के संबध मे एक सिविल वाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रतनगढ में पेश किया जो दिनांक 27.10.98 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पेश की जो आज भी लंबित है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 के विरूद्व कोई दस्तावेज पेश नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है जिसमे मियाद का प्रश्न गौण है। अपीलान्ट के अपीलाधीन आदेश से हित प्रभावित हुए है अपीलान्ट प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार हैं। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.01. 2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 रूल 27 एवं धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार कर फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.12.1999 निरस्त किया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1992 पेज 173, RRD 1998 पेज 349 (H C), RRD 1992 पेज 239, RRT 2022 (1) पेज 494 , RRD 1994 पेज 215, RRD 1992 पेज 17, RRT 2017 (2) पेज 1105, RRT 2016 (2) पेज 971, RRT 2018 (2) पेज 843, 845, RRT 2006 (2) पेज 939, RRT 2010(1) पेज 635, 636, CIVIL APPELE NOS. 1345-1346 OF 2022 WITH CIVIL APPELE NOS. 1347-1374 OF 2022 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

11. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा 28.01.2020 प्रस्तुत दस्तावेजात सत्यप्रति नही है, फोटो स्टेट प्रतिया है जिनके सन्देहास्पद होने से इन्कार नही किया जा सकता। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर नही लिया जा सकता है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 रूल 27 एवं धारा 151 सी.पी.सी निरस्त योग्य है। उन्होने कंहा कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिया है जिनको रिकॉर्ड पर लिया जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने धारा 5 मियाद पर बहस कर कंहा कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की जानकारी प्रारम्भ से थी। अपीलान्ट का मुख्त्यारआम वादगत भूमि के संबध में सम्पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से रखते है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रतनगढ में प्रकरण सं. 1/2010 अनुवान महन्त गणेशनाथ आदि बनाम परमानन्द सर्राफ दातव्य निधि ट्रस्ट के विरूद्व अपीलान्ट के मुख्त्यारआम ने वादी सं. 4 के रूप पैरवी भी की है। इस आधार पर अपीलान्ट को मियाद के बिन्दू पर किसी प्रकार की छूट नही दी सकती है। अपीलान्ट की अपील मियाद पर खारिज की जावे। इसके अलावा अपीलान्ट वादगत भूमि में व्यक्तिगत रूप से कोई हित नही रखता है इसलिए हितबद्व एव व्यथित पक्षकार के रूप मे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त नही है। अपीलान्ट मात्र वादगत भूमि को ट्रस्ट के नाम से हटाकर मृत व्यक्तियो के नाम से पुनः दर्ज करवाकर खुर्द–बुर्द करने की मन्शा रखता है। अपीलान्ट ने स्व. मानमल एवं उसके पूर्वज को आवश्यक पक्षकार होते हुए पक्षकार नही बनाया है अपीलान्ट का व्यक्तिगत रूप से वादगत भूमि में कितना हक व हिस्सा बनता है, अंकित नही किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने का उदेश्य वादगत भूमि को यैन–केन प्रकरण अकेले स्वय के नाम दर्ज करवाकर खुर्द–बुर्द कर व्यक्तिगत नाजायज लाभ प्राप्त करना मात्र है इसी उदेश्य से अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने व मियाद बाहर एवं अपीलान्ट को अपील पेश करने की लोकस स्टेडाई नही होने से खारिज की जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

12. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

13. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। सर्वप्रथम इस अपील में अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेन्डाई पर विचार किया जाना है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु इजाजत प्रदान करने का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमे यह अंकित किया है कि प्रार्थी नामान्तकरण सं. 539 में अंकित बिहारी लाल के पुत्र मानमल का पुत्र है, प्रार्थी के पूर्वजो का नाम होते हए भी प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है, इसलिए प्रार्थी प्रभावित व आवश्यक पक्षकार है। इस सदर्भ में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के बिन्दु सं. 7 में भी यही कथन अंकित किया है। परन्तु कोई वंशवृक्ष/वंशावली अंकित नही की है। जिससे यह स्पष्ट हो सके की बिहारीलाल के कितने पुत्र, पुत्रिया (वारिसान) थे तथा अपीलान्ट जो कि बिहारीलाल के पुत्र मानमल का पुत्र होना अंकित किया है, के अपीलान्ट के अतिरिक्त कितने पुत्र पुत्रिया (वारिसान) है इसके अतिरिक्त बिहारीलाल के साथ मालीराम पिसरान हरदेवा का 2/3 हिस्सा दर्ज है। मालीराम के वारिसान कौन–कौन है यह भी अंकित नही हुए है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अपील मे अंकेले हितबद्व पक्षकार कैसे है तथा अन्य वारिसान को पक्षकार क्यो नही बनया गया है के बारे में अपील मीमो में कोई कथन अंकित नही है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा रेंस्पोडेन्ट सं. 1 परमांनंद सराफ दातव्य निधि ट्रस्ट कोलकाता जरिये मुख्य ट्रस्टी, सांवरमल सर्राफ पुत्र बृजलाल (बीजराज) जाति सर्राफ निवासी रतनगढ जरिये मुखत्यारआम सज्जन कुमार नाहरिया पुत्र मदनलाल नाहरिया जाति माहरिया निवासी शास्त्री नगर, रतनगढ जिला चूरू को पक्षकार बनाया है जबकि इस अपील के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के निर्णय दिनांक 08.12.1999 को चुनौती दी गई है। जिसमें पक्षकार परमान्द सराफ दातव्य निधि ट्रस्ट कलकता, रतनगढ

अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर

ट्रस्ट जरिये मैनेजिग ट्रस्टी, रामावतार पुत्र मुरलीधर सर्राफ निवासी रतनगढ (सुजानगढ) जरिये मुखत्यारआम श्रीनारायण पुत्र श्री माधोप्रसादजी जाति धानुका निवासी, रतनगढ जिला चूरू है। जिसको पक्षकार न बनाकर जरिये मुखत्यारआम सज्जन कुमार नाहरिया पुत्र मदनलाल नाहरिया जाति माहरिया निवासी शास्त्री नगर, रतनगढ जिला चूरू क्यो बनाया गया का कोई स्पष्ट उल्लेख नही है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2015 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने पेश किया जिस पर अदालतवाला द्वारा दिनांक 03.12.2019 को निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्व अपील/निगरानी अपीलान्ट द्वारा नही की गई। इन तथ्यो से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपील (Clean Hand) क्लीनहेड से पेश नही की गई है तथा पक्षकारो का असंयोजन/कुसंयोजन किया गया है, इसलिए अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नही है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के निर्णय दिनांक 08.12.1999 के विरूद्व दिनांक 16.12. 2014 को पेश की है जो कि करीब 15 वर्ष बाद पेश की गई है। इस संबध में दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसमे कोई कारण सिवाय प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित का किया है, के अतिरिक्त कथन नही है। जवाब प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट ने यह कथन अंकित किया है कि अपीलान्ट के मुख्तारआम द्वारा अपर जिला न्यायाधीश रतनगढ के समक्ष प्रकरण सं. 1/2010 मे अनुवानी महन्त गणेशनाथ आदि बनाम परमानन्द सर्राफ दातव्य निधि ट्रस्ट के नाम से वाद दायर किया जिसमें वह वादी सं. 4 के रूप मे पक्षकार दर्ज है। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत आदेश दिनांक 30.07.2011 में अपीलाधीन खं. नं. 856 के सदर्भ में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया गया। उक्त वाद में अपीलान्ट के मुख्तारआम निरजन कुमार वादी सं. 4 के रूप में दर्ज है तथा दफा 5 के समर्थन में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में भी मुख्तारआम की और से शपथ पत्र दिया गया है, अपीलान्ट के मुख्तारआम को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी वाद सं. 1/2010 के दायरी के समय से थी। इसलिए अपील स्पष्ट रूप

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

से मियाद बाहर है। अपीलान्ट को अपील पेश करने की लोक्स स्टेडाई नही है तथा अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है, इसलिए अपील के अन्य प्रार्थना पत्रो व मेरिट पर निर्णय करने की आवश्यकता नही है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक (Fiscal) फिस्कल कार्यवाही है यदि अपीलान्ट का कोई स्वत्व सम्बन्धी अधिकार हो तो वह नियमित वाद लाने हेतु स्वतन्त्र है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

14. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।